

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि.प्रा.(I) क¹ -47/2015-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,पटना

विषय- C.W.J.C. No.-10764/2006, परमानन्द सिन्हा बनाम राज्य सरकार में दिनांक 04.07.2007, L.P.A. No.- 898/2007 में दिनांक 12.02.2008, S.L.P. No.-10391/2008 में दिनांक 08.08.2008 तथा M.J.C. No.- 747/2008 में दिनांक 16.04.2009, दिनांक 18.09.2015 एवं दिनांक 23.11.2015 को पारित आदेशों के अनुपालन में श्री परमानन्द सिन्हा, तत्कालीन सह प्राध्यापक, (खनन-सर्वेक्षण) सेवानिवृत्त को उनके द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त दिनांक 13.01.1986 से 31.01.1998 तक संस्थान के प्राचार्य के उत्तरदायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप उक्त अवधि का प्राचार्य का अनुमान्य वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने C.W.J.C. No.-10764/2006, परमानन्द सिन्हा बनाम राज्य सरकार में दिनांक 04.07.2007, L.P.A. No.- 898/2007 में दिनांक 12.02.2008, S.L.P. No.-10391/2008 में दिनांक 08.08.2008 तथा M.J.C. No.- 747/2008 में दिनांक 16.04.2009, दिनांक 18.09.2015 एवं दिनांक 23.11.2015 को पारित आदेशों के अनुपालन में श्री परमानन्द सिन्हा, तत्कालीन सह प्राध्यापक, (खनन-सर्वेक्षण) सेवानिवृत्त को उनके द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त दिनांक 13.01.1986 से 31.01.1998 तक संस्थान के प्राचार्य के उत्तरदायित्व के निर्वहन के फलस्वरूप उक्त अवधि का प्राचार्य का अनुमान्य वेतन के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के गैर योजना बजट के "मुख्यशीर्ष-2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001-तकनीकी शिक्षा निदेशालय" के अधीन 01 01 वेतन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड- N 2203000010001 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवलय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से श्री सिन्हा को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त स्वीकृति, वित्त विभागीय प्रपत्रों एवं नियमों से आच्छादित नहीं है, परंतु यह कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के बाध्यकारी अनुपालन के क्रम में इस शर्त पर दी जाती है कि यह पूर्वोद्धाहरण नहीं माना जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से दिनांक 27.11.2015 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से निर्गत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)

सरकार के अपर सचिव


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा.(I) क¹ -47/2015-

2790 /पटना, दिनांक- 30-11-015

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.11.2015 में मद संख्या-3 पर स्वीकृत स्वीकृति के अनुपालन में/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), बजट शाखा, आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

27/11/15